

Introduction and Passing of the Appropriation (Vote on Account) Bill, 2024-2025

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I rise to move for leave to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 2024-2025.

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के आहरण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce** the Bill.

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर - 35, माननीय मंत्री जी ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I rise to move:

?That the Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of a part of the financial year 2024-2025, be taken into consideration.?

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

?कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 के भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के आहरण का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी ।

प्रश्न यह है :

?कि खंड 2 से 4 विधेयक के अंग बने ।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I rise to move:

?That the Bill be passed.?

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

?कि विधेयक पारित किया जाए !?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

_____ -

-

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर ? 36, माननीय मंत्री जी ।

19.13 hrs